

11 जुलाई 2024 : समाचार विश्लेषण**A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:****भूगोल**

- भारत महाराष्ट्र में 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है?

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:**सामाजिक न्यायः**

- तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत भरण-पोषण की हकदार हैं: सर्वोच्च न्यायालय
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कहना है कि पुरुषों को अपनी गृहिणी पत्रियों को सशक्त बनाने के लिए धन साझा करना चाहिए:

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:**अर्थव्यवस्था:**

- 'एमएसएमई' को हरित परिवर्तन में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए व्यय की आवश्यकता है:

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:

समाज:

1. भारत की जनसांख्यिकी यात्रा में सफलता और असफलता:
2. सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिए एक मार्ग:

F. प्रीलिम्स तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

भारत महाराष्ट्र में 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा क्यों खोद रहा है?

भूगोल:

विषय: भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखीय हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएँ, भौगोलिक विशेषताएँ और उनके स्थान- अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं (जल-स्रोत और हिमावरण सहित) और वनस्पति एवं प्राणिजगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव।

प्रारंभिक परीक्षा: भूकंप

मुख्य परीक्षा: जलाशय से उत्पन्न भूकंप?

प्रसंग:

- भारत ने महाराष्ट्र के कोयना-वार्ना क्षेत्र में 6 किलोमीटर गहरा गह्वा करके एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयास शुरू किया है। कराड स्थित बोरहोल, जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (BGRL) की अगुवाई में शुरू की गई इस पहल, का उद्देश्य जलाशय से उत्पन्न भूकंपों (earthquakes) और विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है।

वैज्ञानिक डीप-ड्रिलिंग:

- परिभाषा:** वैज्ञानिक डीप-ड्रिलिंग में पृथ्वी की पर्फटी के गहरे हिस्सों का अध्ययन करने के लिए रणनीतिक रूप से बोरहोल खोदना शामिल है। यह भूकंप, पृथ्वी के इतिहास, चट्टान के प्रकार, ऊर्जा संसाधनों और जलवायु परिवर्तन पैटर्न के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- कोयना-वार्ना क्षेत्र में उद्देश्य:** प्राथमिक उद्देश्य जलाशय से उत्पन्न भूकंपों को समझना है, विशेष रूप से 1962 से शिवाजी सागर झील (कोयना बांध) के अवरोध के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंपों को समझना है।

लाभ:

- भूकंप की बेहतर समझ:** पृथ्वी की पर्फटी में गहराई तक ड्रिलिंग करके, वैज्ञानिक मौके पर ही प्रयोग और अवलोकन कर सकते हैं, जिससे भ्रंश रेखाओं और भूकंपीय व्यवहार की बेहतर समझ मिलती है।
- भूवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि:** बोरहोल पृथ्वी की पर्फटी की संघटन, संरचना और प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन और मापन करने की अनुमति देता है, जो सतह-आधारित मॉडल को मान्य कर सकता है।
- तकनीकी प्रगति:** यह परियोजना ड्रिलिंग, डेटा विश्लेषण और सेंसर विकास, विशेष रूप से भूकंप विज्ञान में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है।

चुनौतियाँ:

- तकनीकी जटिलता: गहरी ड्रिलिंग में उच्च तापमान, अंधेरे और उच्च दबाव वाले वातावरण में काम करना शामिल है, जो दीर्घकालिक संचालन को जटिल बनाता है।
- संसाधन गहन: यह प्रक्रिया श्रम और पूंजी गहन है, जिसके लिए लंबे समय तक निरंतर जुड़ाव के लिए अत्यधिक कुशल तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता होती है।
- परिचालन जोखिम: उपकरण खराब होने का खतरा रहता है, जैसे कि ड्रिल रॉड और सेंसर फंस जाना, विशेष रूप से खंडित चट्टानों और भ्रंश क्षेत्रों में ड्रिलिंग करते समय।

ड्रिलिंग तकनीक:

- हाइब्रिड रणनीति: कोयना बोरहोल में मड रोटरी ड्रिलिंग और एयर हैमरिंग को मिलाकर हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- मड रोटरी ड्रिलिंग: डायमंड-एम्बेडेड बिट के साथ एक घूर्णन ड्रिलिंग रॉड का उपयोग किया जाता है, जिसे ज़्यादा गरम होने से बचाने के लिए ड्रिलिंग मड द्वारा ठंडा किया जाता है।
- एयर हैमरिंग: बोरहोल को गहरा करने और कटिंग को बाहर निकालने के लिए अत्यधिक संपीड़ित हवा का उपयोग किया जाता है।
- कोर सैंपलिंग: लंबे, अक्षुण्ण कोर नमूनों को प्राप्त करने के लिए मड रोटरी ड्रिलिंग को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि एयर हैमरिंग से गुणों का अध्ययन के लिए चट्टान के टुकड़े एकत्र किए जाते हैं।

वैज्ञानिक निष्कर्ष:

- भूवैज्ञानिक खोजें: पायलट बोरहोल से 1.2 किमी मोटी डेक्कन ट्रैप लावा प्रवाह और प्राचीन ग्रेनाइटिक बेसमेंट चट्टानों का पता चला।
- तनाव व्यवस्था: डाउनहोल मापों से चट्टानों के भौतिक और यांत्रिक गुणों, तनाव व्यवस्थाओं और फ्रैक्चर अभिविन्यासों के बारे में जानकारी मिली।
- पानी की उपस्थिति: 3 किमी की गहराई पर उल्कापिंडीय जल की खोज से गहरे रिसाव और परिसंचरण का संकेत मिलता है।

भविष्य की संभावनाएँ:

- बोरहोल को गहरा करना: 6 किमी की गहराई तक पहुंचने की योजना के लिए ड्रिलिंग रिग को उन्नत करने तथा बढ़ी हुई परिचालन जटिलताओं का प्रबंधन करने की आवश्यकता होगी।
- व्यापक अनुसंधान अनुप्रयोग: बोरहोल से प्राप्त डेटा और नमूने विभिन्न शोध परियोजनाओं में सहायक होंगे, जिनमें चट्टान घर्षण गुणों, चरम वातावरण में सूक्ष्मजीवी जीवन और कार्बन कैप्चर पर अध्ययन शामिल हैं।

मुद्दे

- भूकंप की अप्रत्याशितता: प्लेट के अंदरूनी हिस्सों में होने वाले छोटे भूकंपों की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है और ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए जोखिम पैदा करते हैं।
- परिचालन संबंधी चुनौतियाँ: उच्च दबाव वाले वातावरण और खंडित चट्टानें ड्रिलिंग को जटिल बनाती हैं और इसके लिए निरंतर समस्या निवारण की आवश्यकता होती है।

महत्व

- सामाजिक प्रभाव: भूकंप और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने से भू-खतरों से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद मिलती है और आपदा तैयारी के लिए नीतियाँ बनाने में मदद मिलती है।
- वैज्ञानिक उन्नति: यह परियोजना वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाती है, तथा भारत को गहन ड्रिलिंग अनुसंधान में अग्रणी बनाती है।

समाधान

- तकनीकी नवाचार: चरम स्थितियों से निपटने के लिए उन्नत ड्रिलिंग उपकरण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली विकसित करना।
- कुशल कार्यबल: निरंतर, ऑन-साइट जुड़ाव के लिए अत्यधिक कुशल तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षित करना और नियोजित करना।
- सहयोगात्मक अनुसंधान: डेटा और नमूनों के उपयोग को अधिकतम करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान समूहों को शामिल करना।

सारांश:

- महाराष्ट्र में भारत की डीप-ड्रिलिंग परियोजना भूकंप के जोखिमों को समझने और उन्हें कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चुनौतियों के बावजूद, वैज्ञानिक डीप-ड्रिलिंग के लाभ बहुत बड़े हैं, जो भूवैज्ञानिक ज्ञान, तकनीकी उन्नति और सामाजिक सुरक्षा में योगदान करते हैं। यह परियोजना पृथ्वी विज्ञान को आगे बढ़ाने और महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत भरण-पोषण की हकदार हैं: सर्वोच्च न्यायालय

सामाजिक न्याय:

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

मुख्य परीक्षा: तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार से संबंधित मुद्दे

प्रसंग:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure (CrPC)) की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार हैं। यह निर्णय तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के समान अधिकार पर जोर देता है, जो व्यक्तिगत कानूनों से परे न्याय और समानता के सिद्धांतों के अनुरूप है।

मामले की पृष्ठभूमि:

- यह फैसला तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया।
- यह अपील मोहम्मद अब्दुल समद ने दायर की थी, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने के फैसले को चुनौती दी थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

प्रमुख कानूनी प्रावधान:

- दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125: धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना पत्रियों, बच्चों और माता-पिता के लिए भरण-पोषण की व्यवस्था प्रदान करती है।
- मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986: इहत अवधि के दौरान “भरण-पोषण का उचित और न्यायोचित प्रावधान” प्रदान करता है।

मुद्दे:

- कानूनों का टकराव: प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या 1986 का अधिनियम तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का स्थान लेता है।
- इहत अवधि के बाद भरण-पोषण: 1986 के अधिनियम के तहत, इहत अवधि के बाद भरण-पोषण प्रदान करने की बाध्यता समाप्त हो जाती है, जबकि धारा 125 निरंतर भरण-पोषण को अनिवार्य बनाती है।
- बच्चों के लिए भरण-पोषण: 1986 का अधिनियम बच्चों के लिए भरण-पोषण को जन्म से दो वर्ष तक सीमित करता है, जबकि धारा 125 में बच्चों के वयस्क होने तक भरण-पोषण शामिल है।

महत्व

- विधि के समक्ष समानता: यह निर्णय समानता और गैर-भेदभाव के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।
- महिलाओं का सशक्तिकरण: यह सुनिश्चित करता है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण के उनके अधिकार से वंचित न किया जाए, तथा उन्हें वित्तीय सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया जाए।
- समन्वयित व्याख्या: अदालत ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और 1986 का अधिनियम एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं, जिससे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण मांगने के लिए विकल्प मिल सकते हैं।

समाधान

- कानूनी जागरूकता: मुस्लिम महिलाओं में दंड प्रक्रिया संहिता और 1986 अधिनियम दोनों के तहत उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
- न्यायिक प्रशिक्षण: न्यायाधीशों और वकीलों को इन कानूनों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या को समझाने और लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- नीतिगत सुधार: भरण-पोषण कानूनों को सुव्यवस्थित करने, उनके अनुप्रयोग में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए संभावित सुधारों पर विचार किया जा सकता है।

सारांश:

- सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) का यह फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दंड प्रक्रिया संहिता की धर्मनिरपेक्ष धारा 125 के तहत भरण-पोषण के उनके अधिकार को मान्यता देकर, अदालत ने समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को बरकरार रखा है। यह फैसला न केवल कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है, बल्कि भारत में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं की वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कहना है कि पुरुषों को अपनी गृहिणी पत्रियों को सशक्त बनाने के लिए धन साझा करना चाहिए:

सामाजिक न्याय:

विषय: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

मुख्य परीक्षा: गृहिणी पत्रियों के वित्तीय मुद्दे

प्रसंग:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी.वी. नागरक्ता ने पतियों द्वारा वित्तीय संसाधनों को साझा करके गृहिणी पत्रियों के वित्तीय सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया। यह टिप्पणी दंड

प्रक्रिया संहिता (Cr.PC) की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखते हुए एक अलग राय में की गई थी।

प्रसंग और निर्णयः

- न्यायमूर्ति नागरका की टिप्पणियां धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखने के संदर्भ में की गईं।
- उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र आय की कमी वाली गृहिणी पत्रियों का वित्तीय सशक्तिकरण परिवार के भीतर उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य टिप्पणियाँः

- वित्तीय सशक्तिकरणः** न्यायमूर्ति नागरका ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय विवाहित पुरुषों को अपनी पत्रियों को वित्तीय संसाधन प्रदान करके, विशेष रूप से उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए, वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता के प्रति जागरूक होना चाहिए।
- योगदान की मान्यताः** उन्होंने स्वीकार किया कि जो पुरुष अपने जीवनसाथी के लिए संयुक्त बैंक खातों या एटीएम कार्ड के माध्यम से अपने वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान करते हैं, उनके प्रयासों को मान्यता दी जानी चाहिए।
- महिलाओं के बीच अंतरः** आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं और गृहिणी पत्रियों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया, जिनके पास वित्तीय स्वतंत्रता नहीं है और जिन्हें अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

मुद्दे

- वित्तीय निर्भरताः** भारत में कई गृहिणी पत्रियों के पास आय के स्वतंत्र स्रोत नहीं हैं और वे आर्थिक रूप से अपने पतियों पर निर्भर हैं।
- वित्तीय सशक्तीकरण का अभावः** वित्तीय सशक्तीकरण का अभाव गृहिणी पत्रियों को उनके परिवारों में सुभेद्य और असुरक्षित बनाता है।

- भावनात्मक और वित्तीय निर्भरता: गृहिणी पत्रियों अक्सर अपने पतियों पर न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी निर्भर होती हैं, जिसका हमेशा पारस्परिक लाभ नहीं मिलता है।

महत्व

- परिवारों को मजबूत बनाना: गृहिणी पत्रियों का वित्तीय सशक्तिकरण परिवार इकाइयों को मजबूत बनाने में योगदान देता है, जो बदले में, समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाता है।
- अवैतनिक कार्य की मान्यता: गृहिणी पत्रियों द्वारा किए गए अवैतनिक कार्य को मान्यता देना और उनका समर्थन करना उनकी गरिमा और कल्याण के लिए आवश्यक है।
- निवास की सुरक्षा: वित्तीय सशक्तिकरण गृहिणी पत्रियों के निवास की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास एक स्थिर और सुरक्षित घरेलू वातावरण हो।

समाधान

- संयुक्त वित्तीय प्रबंधन: पति-पत्री के बीच संयुक्त बैंक खातों और साझा वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने से गृहिणी पत्रियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है।
- जागरूकता कार्यक्रम: पुरुषों में अपनी गृहिणी पत्रियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- कानूनी सुधार: तलाक या अलगाव के मामलों में भी गृहिणी पत्रियों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने वाले कानूनी उपायों को लागू करना।

सारांश:

- न्यायमूर्ति नागरिकों की टिप्पणियां भारत में वैवाहिक संबंधों के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती हैं, जिसमें गृहिणी पत्रियों के वित्तीय सशक्तीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। गृहिणी पत्रियों के वित्तीय योगदान और जरूरतों को मान्यता देकर, यह निर्णय एक अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक पारिवारिक माहौल को बढ़ावा देता है। गृहिणी पत्रियों का वित्तीय सशक्तीकरण सुनिश्चित करना न केवल समानता का मामला है, बल्कि मजबूत परिवारों और मजबूत राष्ट्र के निर्माण की दिशा में भी एक कदम है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

'एमएसएमई को हरित परिवर्तन में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए व्यय की आवश्यकता है'

अर्थव्यवस्था:

विषय: भारत में आर्थिक विकास

प्रारंभिक परीक्षा: एमएसएमई

मुख्य परीक्षा: एमएसएमई के लिए चुनौतियाँ

प्रसंग:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो रोजगार सृजन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। केंद्रीय MSMEs मंत्री जीतन राम मांझी ने इस क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और हरित परिवर्तन में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता पर बल दिया।

एमएसएमई विकास के लिए छह स्तंभ:

- औपचारिकीकरण और ऋण तक पहुँच: यह सुनिश्चित करना कि MSMEs को औपचारिक वित्तीय प्रणालियों और ऋण सुविधाओं तक पहुँच प्राप्त हो।
- बाजार तक पहुँच और ई-कॉमर्स को अपनाना: MSMEs को व्यापक बाजार पहुँच के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च उत्पादकता: उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को बढ़ावा देना।
- कौशल स्तर में वृद्धि और डिजिटलीकरण: कौशल विकास और डिजिटल परिवर्तन में निवेश करना, विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में।
- खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग को समर्थन: पारंपरिक उद्योगों को वैशिक बनाने का लक्ष्य।
- महिलाओं और कारीगरों का सशक्तिकरण: महिलाओं और कारीगरों के बीच उद्यम सृजन को बढ़ावा देना।

बुनियादी ढांचे का विकास:

- सतत आर्थिक विकास: MSME क्षेत्र और समग्र आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए विशेष रूप से औद्योगिक समूहों में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देना।

रोजगार सृजन:

- निर्यात वृद्धि: वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2024 तक निर्यात में 8.5% की CAGR वृद्धि के साथ, वित्त वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का लक्ष्य है, जिसके लिए निर्यातिकों और MSMEs के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है।
- NPA समयसीमा विस्तार: संघर्षरत MSMEs को राहत प्रदान करने के लिए NPA समयसीमा को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन करने का प्रस्ताव।

ऋण एवं वित्तीय सहायता:

- क्रेडिट गारंटी योजना: विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार।
- ब्याज समतुल्यीकरण योजना: निर्यात को समर्थन देने के लिए योजना को पांच साल के लिए बढ़ाना, साथ ही MSMEs के लिए छूट दरों को बहाल करना।
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना: MSME निर्यातिकों के लिए योजना को अगले दो साल के लिए फिर से शुरू करना।
- भुगतान समयसीमा विस्तार: MSME जॉब वर्क के भुगतान के लिए समयसीमा को मौजूदा 45 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन करना।

नीति और योजना समायोजन:

- MSMEs के लिए PLI योजना: कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए PLI योजना के तहत निवेश सीमा को घटाकर ₹ 25 करोड़ और टर्नओवर सीमा को घटाकर ₹ 70 करोड़ किया गया।
- RoDTEP और RoSCTL योजनाएँ: कपड़ा और परिधान क्षेत्र को समर्थन देने के लिए इन योजनाओं को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तारित किया गया।

हरित परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास:

- जलवायु परिवर्तन प्रभाव: MSMEs को हरित संसाधनों और प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन के लिए सॉफ्ट फंड प्रदान करना।
- अनुसंधान और विकास: धारा 35(2AB) के तहत भारित कर कटौती को 300% तक बढ़ाना तथा अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए LLPs, साझेदारी फर्मों और स्वामित्व फर्मों को लाभ प्रदान करना।

मुद्दे:

- ऋण तक पहुँच: औपचारिक ऋण सुविधाओं तक सीमित पहुँच MSMEs के विकास में बाधा डालती है।
- तकनीकी पिछ़ापन: कई MSMEs के पास वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक तकनीक का अभाव है।
- भुगतान में देरी: कम भुगतान समयसीमा MSMEs के लिए नकदी प्रवाह की समस्याएँ पैदा करती हैं।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन: MSMEs को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और संधारणीय प्रथाओं में बदलाव के लिए समर्थन की आवश्यकता है।

महत्व

- आर्थिक विकास: सतत आर्थिक विकास और निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए MSME क्षेत्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।
- रोजगार सृजन: MSME रोजगार सृजन और आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- तकनीकी उन्नति: प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश करने से उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
- सतत विकास: हरित बदलावों का समर्थन करने से MSME की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होगी।

समाधान

- ऋण तक बेहतर पहुँच: MSMEs के लिए औपचारिक ऋण तक पहुँच में सुधार के उपायों को लागू करना।

- प्रौद्योगिकी उत्तराधिकारी: MSMEs को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- विस्तारित भुगतान समयसीमा: MSMEs के लिए बेहतर नकदी प्रवाह प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भुगतान समयसीमा को समायोजित करना।
- हरित संक्रमण निधि: हरित प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं में संक्रमण में MSMEs का समर्थन करने के लिए अधिक धन आवंटित करना।
- अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना: MSMEs क्षेत्र के भीतर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास के लिए कर प्रोत्साहन बढ़ाना।

सारांश:

- MSME क्षेत्र की वृद्धि और स्थिरता भारत की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी उत्तराधिकारी, ऋण पहुंच बढ़ाने, भुगतान समयसीमा बढ़ाने और हरित बदलावों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि MSME लगातार फलते-फूलते रहें और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दें। आगामी बजट में MSME क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

संपादकीय-द हिन्दू**संपादकीय:**

भारत की जनसांख्यिकी यात्रा में सफलता और असफलता:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित

समाज़:

विषय: जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे।

मुख्य परीक्षा: SDG लक्ष्यों का मूल्यांकन।

विवरण: भारत की जनसांख्यिकी यात्रा

- **विश्व जनसंख्या दिवस:** डॉ. के.सी. जकारिया के प्रस्ताव के बाद 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित (यह दिवस मनाया जाने लगा)।
- **1960-1970 के दशक की भविष्यवाणियाँ:** वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 2% प्रतिवर्ष, जिससे भारत में गरीबी और भुखमरी की आशंकाएँ बढ़ रही हैं।
- **सकारात्मक बदलाव:** वैश्विक प्रजनन दर में गिरावट, बेहतर जीवन स्थितियों और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि।
- **भारत की प्रगति:** 1970 के दशक से प्रजनन दर में गिरावट आई है, जो वर्तमान में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, साथ ही मातृ और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है।

जनसंख्या गतिशीलता:

- **मुख्य घटक:** प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवास भारत के जनसांख्यिकीय परिदृश्य को आकार देते हैं।
- **प्रजनन दर:** 3.4 (1992) से घटकर 2 (2021) हो गई, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।
- **मृत्यु दर:** जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण गिरावट।
- **वृद्धि जनसंख्या:** 2011 में 60+ आयु वर्ग के 8.6%, 2050 तक 19.5% तक बढ़ने का अनुमान है।
- **निहितार्थ:** छोटे परिवार के मानदंड, संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend), वृद्धावस्था देखभाल और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता।

एसडीजी यात्रा:

- **गरीबी उन्मूलन:** गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 48% (1990) से घटकर 10% (2019) हो गई। मनरेगा और जननी सुरक्षा योजना महत्वपूर्ण थी।

- खाद्य सुरक्षा: हरित क्रांति (Green Revolution) ने खाद्य संकट को टाला; भूख 18.3% (2001) से घटकर 16.6% (2021) हो गई। कुपोषण एक चुनौती बना हुआ है।
- स्वास्थ्य सुधार: गंभीर मृत्यु दर संकेतकों में लगातार गिरावट। MMR (MMR) 384.4 (2000) से घटकर 102.7 (2020) हो गया, IMR 66.7 (2000) से घटकर 25.5 (2021) हो गया।

चुनौतियाँ और फोकस क्षेत्र:

- आय असमानता: शीर्ष 10% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा है, जो विकास को प्रभावित करता है।
- पोषण संकट: वैश्विक भूख सूचकांक (2023) (Global Hunger Index (2023).) में भारत 125 में से 111वें स्थान पर है।
- स्वास्थ्य बोझः संचारी और गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का दोहरा बोझ।
- लैंगिक समानता: कई मुद्दों को हल करने और एसडीजी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

सतत विकास का मार्ग:

- नीति निर्माण: बदलती जनसंख्या गतिशीलता को स्वीकार करना।
- नौकरी सृजन: रोजगार के अवसर पैदा करके जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाएँ।
- स्वास्थ्य और पोषण: बजटीय आवंटन बढ़ाएँ और कार्यक्रमों को मजबूत करना।
- लैंगिक समानता: समग्र प्रगति के लिए कमज़ोर महिलाओं को सशक्त बनाएँ।
- सहयोग और इच्छाशक्ति: 2030 तक एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहु-क्षेत्रीय सहयोग और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है।

सारांश:

- भारत की जनसांख्यिकीय यात्रा प्रजनन क्षमता में कमी, बेहतर स्वास्थ्य परिणामों और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। हालाँकि, आय असमानता, कुपोषण और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को प्राप्त करने के लिए इनसे निपटना बहुत ज़रूरी है।

सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिए एक मार्गः

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधितः

समाजः

विषयः जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, शहरीकरण।

मुख्य परीक्षा भारत की जनसांख्यिकी चुनौतियाँ।

विवरणः वैशिक जनसंख्या रूझान

- इस दशक के अंत तक वैशिक जनसंख्या 8.5 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।
- एशिया में अधिक जनसंख्या होने की उम्मीद है, जबकि यूरोप में कम जनसंख्या होगी।
- प्रजनन स्तर में गिरावट और बढ़ती दीर्घायु के परिणामस्वरूप वृद्ध लोगों की संख्या अधिक होगी।
- असंतुलित जनसंख्या वितरण और विषम आयु संरचना महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं।

शहरीकरण और इसकी चुनौतियाँः

- जनसंख्या तेजी से शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हो रही है, 2030 तक दो-तिहाई लोगों के शहरों में रहने की उम्मीद है।
- शहरी क्षेत्रों में यह संकेन्द्रण बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर दबाव डालेगा, जिससे संभावित रूप से जीवन की गुणवत्ता कम हो सकती है।
- घरों में बच्चों और बुजुर्गों का असमान वितरण असमानता को प्रभावित करेगा, खासकर भारत में।

महिलाओं का स्वास्थ्य और अधिकार:

- विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day) का विषय महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर केंद्रित है, जो जनसंख्या और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICPD) की 30वीं वर्षगांठ को चिह्नित करता है।
- आधुनिक गर्भनिरोधकों तक पहुँच और मातृ मृत्यु को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- प्रगति के बावजूद, मुख्य रूप से विकासशील देशों में, प्रतिदिन 800 महिलाएँ गर्भवस्था से संबंधित कारणों से मर जाती हैं, जिन्हें रोका जा सकता है।
- कम प्रजनन स्तर और बढ़ती दीर्घायि घरेलू संरचना को बदल देती है, जिससे देखभाल का बोझ और असमानता प्रभावित होती है।

प्रवास और शहरी विकास:

- प्रवास की प्रवृत्तियाँ भविष्य की जनसंख्या वितरण को आकार देंगी, जिसमें 60 करोड़ भारतीय सालाना घरेलू और 2 करोड़ विदेश में प्रवास करते हैं।
- बड़े शहरों पर दबाव कम करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचे वाले नए शहरों का उदय महत्वपूर्ण है।
- शहर वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, जहाँ 600 शहरी केंद्र दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 60% उत्पन्न करते हैं।
- पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता के मुद्दों के कारण भारतीय शहर वैश्विक मूल्यांकन में खराब रैंक पर हैं।

भारत की जनसंख्या और कार्यबल:

- भारत में अपनी जनसंख्या की वास्तविक गणना नहीं है, अनुमानों के लिए दशकों पुराने डेटा पर निर्भर है।

- सटीक जनसंख्या डेटा के लिए नीति-निर्माण को सूचित करने के लिए जनगणना आयोजित करना महत्वपूर्ण है।
- भारत को 21वीं सदी में अपनी क्षमता को मान्य करने के लिए वैशिक श्रम बाजार के लिए अपने कार्यबल को तैयार करना चाहिए।
- सख्त आव्रजन नीतियों के बावजूद, निकट भविष्य में भारतीय प्रवास जारी रहने की उम्मीद है।

सारांश:

- वैशिक जनसंख्या रुझान बढ़ते शहरीकरण, महिलाओं के स्वास्थ्य में चुनौतियों और महत्वपूर्ण प्रवासन पैटर्न को उजागर करते हैं। भारत के लिए, शहरी बुनियादी ढांचे को संबोधित करना, सटीक जनसंख्या डेटा और कार्यबल की तत्परता इसकी जनसांख्यिकीय क्षमता का लाभ उठाने और भविष्य के विकास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रीलिम्स तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. अल्जाइमर के निदान के लिए एम्स की पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एम्स ने अल्जाइमर रोग के शुरुआती निदान के लिए एक नया रक्त परीक्षण शुरू किया है।
2. यह परीक्षण अल्जाइमर का अधिक उत्तम चरण में पता लगा सकता है।
3. यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) सभी 3
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: a

व्याख्या:

- एम्स ने अल्जाइमर रोग के शुरुआती निदान के लिए एक नया रक्त परीक्षण शुरू किया है।
- परीक्षण द्वारा उन्नत अवस्था में रोग का पता लगाने तथा इसके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा होने संबंधी कथन गलत हैं।

प्रश्न 2. मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अदालत ने फैसला सुनाया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण उपलब्ध है।
2. यह फैसला मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुरूप है।
3. अदालत ने कहा कि यह भरण-पोषण केवल 'इदत' अवधि के दौरान उपलब्ध है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

- अदालत ने फैसला सुनाया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण उपलब्ध है और यह एमडब्ल्यूपीआरडी अधिनियम, 1986 के अनुरूप है। हालाँकि, भरण-पोषण 'इदत' अवधि तक सीमित नहीं है।

प्रश्न 3. राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय, उधार को छोड़कर, उसके कुल राजस्व से अधिक होता है।
2. यदि घाटे को अधिक मुद्रा छापकर वित्तपोषित किया जाए तो उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है।
3. राजकोषीय घाटा हमेशा एक अर्थव्यवस्था के लिए एक नकारात्मक संकेतक होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: a

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय, उधार को छोड़कर, उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है।
- कथन 2 सही है: यदि घाटे को अधिक मुद्रा छापकर वित्तपोषित किया जाता है तो उच्च राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है।
- कथन 3 गलत है: राजकोषीय घाटा हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक संकेतक नहीं होता है। यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रणनीतिक विस्तारवादी राजकोषीय नीति का एक हिस्सा हो सकता है, खासकर मंदी के दौरान। हालांकि, लगातार उच्च राजकोषीय घाटा समस्याग्रस्त हो सकता है अगर वे अस्थिर ऋण स्तरों की ओर ले जाते हैं।

प्रश्न 4. अपर सियांग बहुउद्देशीय भंडारण परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अपर सियांग परियोजना को सियांग नदी पर बनाने का प्रस्ताव है, जिसका उद्धभव तिब्बत से होता है और यह नदी त्सांगपो के रूप में जानी जाती है।

2. अपर सियांग परियोजना का लक्ष्य 11,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पन्न करना है।
3. इस परियोजना को त्सांगपो नदी पर चीन की जलविद्युत परियोजनाओं का मुकाबला करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
4. इस परियोजना को इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के कारण विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसमें आदि जनजाति समुदायों का विस्थापन भी शामिल है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) सभी 3
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: d

व्याख्या:

- कथन 1 सही है: अपर सियांग परियोजना को सियांग नदी पर बनाने का प्रस्ताव है, जो तिब्बत में उत्पन्न होती है जहाँ इसे त्सांगपो के रूप में जाना जाता है।
- कथन 2 सही है: अपर सियांग परियोजना का लक्ष्य 11,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पन्न करना है।
- कथन 3 सही है: यह परियोजना त्सांगपो नदी पर चीन की जलविद्युत परियोजनाओं, विशेष रूप से तिब्बत के मेडोग काउंटी में प्रस्तावित 60,000 मेगावाट के 'सुपर बांध' का मुकाबला करने के लिए विकसित की जा रही है।
- कथन 4 सही है: इस परियोजना को इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के कारण विरोध का सामना करना पड़ा है, जिसमें आदि जनजाति के 300 से अधिक गांवों का विस्थापन भी शामिल है।

प्रश्न 5. भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।
2. ED विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
3. प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: b

व्याख्या:

- कथन 1 गलत है: प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के नहीं, बल्कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।
- कथन 2 सही है: ED विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- कथन 3 सही है: प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जो आमतौर पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) की सिफारिशों के आधार पर होती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि में एमएसएमई की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन - III, अर्थव्यवस्था) (Analyze the role of MSMEs in employment generation and export growth in the current economic scenario. (15 marks, 250 words) [GS-3, Economy])

प्रश्न 2. 2030 तक अनुमानित वैश्विक जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण प्रवृत्तियों के बुनियादी ढांचे, जीवन की गुणवत्ता और क्षेत्रीय जनसंख्या संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन - I, सामाजिक मुद्दे) (Discuss the implications of the projected global population growth and urbanization trends by 2030 on infrastructure, quality of life, and regional population balances. (15 marks, 250 words) [GS-1, Society])

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर **BYJU'S** की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)

